प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

संयुक्त निदेशक, क्षय,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0: 01–A/RNTCP/NP/2016–17/ 11272 दिनांक: 29/3/2017

विषय : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु राज्य एवं जनपदों के लिये तृतीय किस्त की जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या एस0टी0सी0एस0 /150/2014–15/12298 दिनांक 06.02.2017 द्वारा आर0एन0टी0सी0पी0 कें अंतर्गत वर्ष 2016–17 की राज्य कार्ययोजना में अनुमोदित गतिविधियों हेतु राज्य एवं जनपदों के लिये तृतीय किस्त में जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार कुल रू0 912.732 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें रू0 60000/– कमिटेड करायी गयी धनराशि भी अवमुक्त किया जाना सम्मिलित था।

2. वर्ष 2016–17 की राज्य कार्ययोजना में अनुमोदित गतिविधियों हेतु राज्य एवं जनपदों के लिये तृतीय किस्त के रूप में आर0एन0टी0सी0पी0 के अंतर्गत धनराशि रू0 79221507/–, मिशन फ्लैक्सीपूल के अंतर्गत धनराशि रू0 2550036/–, वर्ष 2016–17 हेतु कमिटेड करायी गयी धनराशि में से धनराशि रू0 60000/– सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 24.03.2017 को अवमुक्त कर दी गयी है। आर0एन0टी0सी0पी0 के अंतर्गत धनराशि रू0 79221507/– निम्नलिखित तालिका के अनुसार मदवार अवमुक्त की गयी है–

District Alloction						
SN	**Name of District**	**Total Release (Rs.)**	**H.1.3.A Honorarium/ Counselling Charges**	**H.1.4.A ACSM**	**H.1.9.A Public Private Mix(PP/NGO Support)**	**H.1_19.A Supervision and Monitoring**
1	Agra	1720550	1160771	0	0	559779
2	Aligarh	1442699	973318	0	0	469381
3	Allahabad	2340670	1579135	0	0	761535
4	Ambedkar Nagar	941610	635292	0	0	306318
5	Amethi	711439	479973	0	0	231466
6	Amroha (JP Nagar)	722058	487137	0	0	234921
7	Auraiya	538711	363442	0	0	175269
8	Azamgarh	1812930	1223095	0	0	589835
9	Baghpat	511104	344817	0	0	166287
10	Bahraich	1365893	921501	0	0	444392
11	Ballia	1266078	854161	0	0	411917
12	Balrampur	843817	569282	0	0	274535
13	Banda	706484	476630	0		229854
14	barabanki	1279528	863235	0	0	416293
15	Bareilly	2953467	1182978	0	1200000	570489
16	Basti	966283	651904	0	0	314379

SN	Name of District	Total Release (Rs.)	H.1.3.A Honorarium/ Counselling Charges	H.1.4.A ACSM	H.1.9.A Public Private Mix(PP/NGO Support)	H.1_19.A Supervision and Monitoring
District Alloction						
17	Bijnor	1446593	975945	0	0	470648
18	Budaun	1457920	983587	0	0	474333
19	Bulandshahar	1313544	866504	0	0	447040
20	Chandauli	766656	517225	0	0	249431
21	Chitrakoot	388991	262433	0	0	126558
22	Deoria	1216880	820969	0	0	395911
23	Etah	691618	466601	0	0	225017
24	Etawah	620121	418365	0	0	201756
25	Faizabad	969115	653814	0	0	315301
26	Farukkhabad	741171	500032	0	0	241139
27	Fatehpur	1033887	697513	0	0	336374
28	Firozabad	980441	661455	0	0	318986
29	Gautam Buddha Nagar	561734	347772	0	0	213962
30	Ghaziabad	505050	112133	0	0	392917
31	Ghazipur	1422524	959707	0	0	462817
32	Gonda	1345010	907412	0	0	437598
33	Gorakhpur	1742141	1175337	0	0	566804
34	Hamirpur	433589	292521	0	0	141068
35	Hapur	509687	343861	0	0	165826
36	Hardoi	1606578	1083879	0	0	522699
37	Hathras	614811	414783	0	0	200028
38	Jalaun	654807	441766	0	0	213041
39	Jaunpur	1757715	1185844	0	0	571871
40	Jhansi	785769	530120	0	0	255649
41	Kannauj	650914	439140	0	0	211774
42	Kanpur Dehat	704714	475436	0	0	229278
43	Kanpur Nagar	1795941	1211633	0	0	584308
44	Kasganj	564550	380874	0	0	183676
45	Kaushambi	626845	422902	0	0	203943
46	Kushi Nagar (Padrauna)	1398455	943469	0	0	454986
47	Lakhimpur Kheri	1576138	1063343	0	0	512795
48	Lalitpur	478186	322609	0	0	155577
49	Lucknow	2301959	1215693	500000	0	586266
50	Maharajganj	1046630	706110	0	0	340520
51	Mahoba	343332	231629	0	0	111703
52	Mainpuri	725243	489286	0	0	235957
53	Mathura	998138	673395	0	0	324743
54	MAU	865762	584087	0	0	281675
55	Meerut	1353858	913382	0	0	440476
56	MIRZAPUR	979379	660739	0	0	318640
57	Moradabad	1221835	824312	0	0	397523
58	Muzaffar Nagar	1101492	743123	0	0	358369
59	Pilibhit	799926	539671	0	0	260255
60	Pratapgarh	1246258	840789	0	0	405469
61	Raebareli	1182192	797567	0	0	384625
62	Rampur	917084	618712	0	0	298372
63	Saharanpur	1360229	917680	0	0	442549
64	Sambhal	779044	525583	0	0	253461
65	Sant Kabir Nagar	672505	453706	0	0	218799

---3

District Alloction						
SN	**Name of District**	**Total Release (Rs.)**	**H.1.3.A Honorarium/ Counselling Charges**	**H.1.4.A ACSM**	**H.1.9.A Public Private Mix(PP/NGO Support)**	**H.1_19.A Supervision and Monitoring**
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	610210	411679	0	0	198531
67	Shahjahanpur	1179007	795418	0	0	383589
68	Shamali	524554	353891	0	0	170663
69	Shrawasti	437482	295148	0	0	142334
70	Siddharth Nagar	1002739	676499	0	0	326240
71	Sitapur	1757007	1185366	0	0	571641
72	Sonbhadra	731261	493346	0	0	237915
73	Sultanpur	931596	628502	0	0	303094
74	Unnao	1221481	824073	0	0	397408
75	Varanasi	1445888	975468	0	0	470420
	Grand Total	**79221507**	**52020509**	**500000**	**1200000**	**25500998**

3. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम के सुचारू एवं गुणवत्तापरक संचालन हेतु मदवार मानक दर्शाते हुये स्पष्ट एंव विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत कराने का कष्ट करें। जनपद को प्रेषित की जाने वाले दिशा–निर्देश में निम्नलिखित वित्तीय बिन्दुओं को भी सम्मिलित करवाने का भी कष्ट करें–

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में

---4

दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक / महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
- मानदेय के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि से भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनको वार्षिक मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्अनुबन्धित किया गया हो अथवा वर्ष 2016–17 की पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों के सापेक्ष नई तैनाती की गयी हो। मानदेय में 5% की वार्षिक–वृद्धि उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगी जिन्होने एक वर्ष की संतोषजनक निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यकम

पत्र सं0: 01–A / RNTCP / NP / 2016–17 / 11272-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यकम